(ii) निर्धारित प्रारूप में आवेदन श्रम कल्याण मंडल में नियोक्ता के माध्यम से मृत्यु दिनांक से तीन माह (03 माह) के भीतर प्रस्तुत करना होगा.

(द) अन्य विवरण:—

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर मंडल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 10-18/2011/16.—छत्तीसगढ़ श्रम निधि अधिनियम, 1982 की धारा 33 (2) (ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11 (2) दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना :—

(अ) योजना का प्रावधान:—

(i) योजना का नाम छात्रवृत्ति योजना 2011 होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के (बालक/बालिकाओं) को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रवृत्ति की राशि निम्नानुसार प्रदाय की जावेगी.

क्रमांक	शैक्षणिक कक्षा	वर्तमान छात्रवृत्ति राशि	संशोधित छात्रवृत्ति राशि
1.	6वीं से 12वीं	500/-	1,000/-
2.	स्नातक	600/-	2,500/-
3.	स्नातकोत्तर	1,200/-	3,000/-

(iii) योजना के प्रावधान में किया गया संशोधन छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना हेतु पात्रता:—

(i) योजना के अन्तर्गत स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिक जो मंडल को अभिदाय देते हैं की दो पुत्र/पुत्री को जो कक्षा पांचवी पास से स्नातकोत्तर, आई.टी.आई., बी.ई., पॉलीटेक्निक, एम.बी.ए., एम.बी.बी.एस. आदि उच्च शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत हैं को पात्रता होगी.

(ii) श्रमिक का मासिक वेतन 10,000/- रु. से अधिक नहीं होना चाहिये.

(iii) श्रमिक की छात्र/छात्रा जिसने गत परीक्षा में 60% (प्रथम डिवीजन) या अधिक प्राप्तांक प्राप्त किए हों को ही योजना का लाभ प्राप्त होगा.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया:—

(i) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ उपरांत मंडल द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु तिथि का निर्धारण पृथक से किया जावेगा.

(ii) आवेदन पत्र में नियोजन/स्कूल कालेज द्वारा अध्ययनरत कक्षा का सत्यापन के साथ आवेदक छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर होना चाहिये.

(iii) निर्धारित प्रारूप में आवेदन श्रम कल्याण मंडल में नियोक्ता के माध्यम से समयावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा.

(द) अन्य विवरण:—

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर मंडल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.